न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
415 / 2019	02 / 12 / 2019	12/07/2024

उनवान

01. प्रहलाद,
02. फूलसिंह
03. जयसिंह
04. सुरेश पुत्रान मानसिंह कौम जाटव निवासी जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर

———:: वादीगण

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर साहब अलवर द्वारा पैरोकार सरकार तहसीलदार साहब, तिजारा।

———:: प्रतिवादीगण

दावाइश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाईदवामी

अन्तर्गतधारा 88,89,188 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम, 1955

वादीगण :– **श्री चिरंजीलाल चावडा, एडवोकेट**

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 1603 रकबा 4–15बिस्वा वाके ग्राम जैरोली तहसील तिजारा है कि जिसका हाल 31/32 हिस्सा का 1/3 भाग इस वाद मे विवादित आराजी कहलावेगी। विवादित आराजी बच्चू साहबकख रमजान ताजू राजू गफूर भूरीया रोशन झब्दा छुटटू की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की आराजी थी जो काबिज थे जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अमल हो रहा था। उक्त खातेदारन बच्चू वगैरा ने विवादित आराजी अपने समस्त हिस्से को मिन वादीगन को बाजाप्ता बाकायदा प्रतिफल प्राप्त कर बजर्ये रजि0 बयनामा दि. 13/01/94 के मुन्तकिल कर दिया व वक्त खरीद से ही मिन वादीगन बतोर खातेदारान काबिज आ रहे है मौका पर वादीगन का वास्तविक कब्जा है। मुताबिक बयनामा व मौका के कब्जा काश्त के मिन वादीगन के हकमे नियमानुसार आराजी मुतनाजा का इन्तकाल नं. 736 ग्राम जैरोली दरज होकर स्वीकार [illegible] के आधार पर जमाबंदी सम्वत् 2053 मे वादीगन के नाम अमल भी कर दिया गया है। [illegible] विवादित आराजी के रिकोर्डेड काबिल खातेदार काश्तकार हो गये। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी [illegible] संलग्न है। दिनांक 24/1/02 को मिन वादीगन पटवाररी हल्का के पास जमाबंदी [illegible] जमाबंदी मे पुनः वि[illegible] के नाम का अंकन बताया गया जिस पर जमाबंदी 2053 की नकल हासि[illegible] की तो पाया कि मिन [illegible] के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.07 16:05:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला खैरथल तिजारा (राज०)

नाम का खातेदारी का अमल काट दिया गया है। जबकि मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा व मौका के कब्जा काश्त व नियमानुसार दरज वो स्वीकार नामान्तकरन के आधार पर वादीगन के नाम जमाबंदी 2053 मे खातेदारी का अमल किया गया था ऐसी सूरत मे जमाबंदी 2053 मे मिन वादीगन के नाम का इन्द्राज काटे जाने व पुन: विकेतागन के नाम का अमल किया जाना ना केवल विधि विरूद्ध है बल्कि न्याय नियम व प्राकृतिक न्याय नियमो के विपरीत है जिसके कारन वादीगन के निहीत हकूको पर कुठाराघात होता है इसलिये वादीगन स्वंय को विवादित आराजी के खातेदार करार दिलाने व इसी कदर जमाबंदी 2053 ता हाल मे अपने नाम का खातेदारी का अमल रखवाने के अधिकारी है। हकूक वादीगन कानूनन रक्षित है वादीगन विवादित आराजी के सदभावी काबिज खरीददार खातेदार है मौका पर वास्तविक कब्जा है इसलिये अपने हकूको की रक्षार्थ वाद पेश करना लाजिम आया है। प्रतिवादी को दावा दायरी से पूर्व नोटिस धारा 80जा.दी. दो माह दिया जाना कानूनन आवश्क है किन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का हे व वादीगन को आराजी के विस्तार हेतु पत्रावली तैयार करनी है इसलिये अर्जेन्सी के कारन नोटिस दिये बिना वाद दायर किया जा रहा है रफाऐ उज्रात प्रार्थना पत्र धारा 80(2) जा.दी. संलग्न है। विवादित आराजी काश्तवो पक्षकारान हदूद अदालत श्रीमान् के अधिकार क्षेत्र के है अतः वाद न्यायालय श्रीमान के सुनने योग्य है। वाद हेतु बिनायदावीवो बिनाय मुखासमत दिनांक 24/01/'02 को पेदा हुई है जिससे वाद अन्दर अवधि पेश है। वादपत्र पर 2रूपये न्याय शुल्क वो रूप्ये तलबाना प्रस्तुत है। प्रार्थना है कि वाद वादीगन बहस वादीगन निम्न प्रकार डिगरी किया जावे डिगरी इजराय इश्तकरारहक बहक वादीगन पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादीगन हाल आराजी ख.नं. 1603/1.20है0 (4–15बिस्वा) वाके ग्राम जैरोली तहसील तिजारा के 31/32 भाग दर 1/3भाग के खातेदारान काबिज काश्तकारान है।डिगरी दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर जमाबंदी 2053 ता हाल मे वादीगन के नाम का खातेदारी का अमल करावा जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 पैराकार सरकार ने जवाब बिन्दुवार प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है –1. स्वंय सिद्व करें। 2. अस्वीकार है। आराजी ख.नं 1603 रकबा 4–15बिस्वा जिम्मन गैरखातेदार मे दर्ज है। तथा गैरखातेदारी भूमि है। 3. यह है कि गैर खातेदार को भूमि विक्रय के अधिकार नही है। 4. वादी स्वंय सिद्व करे। अमल नहीं किया गया है। 5. कानूनी है। 6. कानूनी है। 7. यह है कि दावा से पूर्व नोटिस नियम 80सीपीसी दिया जाना लाजिमी है। 8. कानूनी है। 9. कानूनी है। 10. कानूनी है। 11. आराजी गैर खातेदारी भूमि है जिसका बेचान नही किया जा सकता। अतः दावा खारिज योग्य है।

यह कि प्रकरण में निम्न तनकीयात कामय की गई।

तनकी नम्बर 1 – आया वादीगण हाल जमाबंदी आराजी खसरा नंबर 1603 रकबा 1.20है0 वाके ग्राम जैरोली तहसील तिजारा के 31/32 भाग दर 1/3भाग के खातेदारान काबिज काश्तकार है।

तनकी नम्बर 2 – दादरसी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.07 16:05:23 IST
Reason: SelfAttested

जिम्मे वादीगण

उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला अलवर तिजारा (राज०)

समर्थनार्थ के संबंध मे वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र जगरिंह पुत्र श्री मानसिंह उम्र करीब 38 साल जाति जाटव निवासी ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.) एंव प्रहलाद पुत्र श्री मानसिंह उम्र करीब 50 साल जाति जाटव निवासी ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.) पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श 1), नकल जमाबंदी सम्वत् 2018-22(प्रदर्श 2), नकल जमाबंदी सम्वत् 1991(प्रदर्श 3), नकल नामान्तकरण 736(प्रदर्श 4),नकल जमाबंदी सम्वत् 2053(प्रदर्श 5), नकल जमाबन्दी संवत् 2057–60(प्रदर्श 6)पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से तनकी संख्या 01 वादी के विरूद्व वादी तय की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया जिसमे जवाब सरकार मे पैरा संख्या 11 में पैरोकार सरकार ने अवगत कराया है कि विवादित आराजी गैर खातेदारी भूमि है जिसका बेचान नही किया जा सकता।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वकील वादी पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात के आधार पर वादी का वाद डिकी किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(संजीव कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला खैरथल तिजारा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.07 16:05:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
415 / 2019	02 / 12 / 2019	12/07/2024

उनवान

01. प्रहलाद,
02. फूलसिंह
03. जयसिंह
04. सुरेश पुत्रान मानसिंह कौम जाटव निवासी जैथेली तहसील तिजारा जिला अलवर

———:: वादीगण

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर साहब अलवर द्वारा पैरोकार सरकार तहसीलदार साहब, तिजारा।

———:: प्रतिवादीगण

दावाइश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाईदवामी
अन्तर्गतधारा 88,89,188 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम, 1955

वादीगण :– श्री चिरंजीलाल चावडा, एडवोकेट

–:: पर्चा डिक्री ::–

वादी का वाद खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

(संजीव कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.07 16:05:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला खैरथल तिजारा (राज0)